बजरंग सिंह बनाम जयदेव सिंह आदि
2025/74
निर्णय दिनांकः–16.12.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/74 | दर्ज तिथिः– 04.09.2025

1. बजरंग सिंह पुत्र श्री छतुसिंह जाति राजपूत निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. जयदेव सिंह पुत्र छतुसिंह जाति राजपूत निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. नारायण सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. नाहर सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. महेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मोहर सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. मालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू (राज.)
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू (राज)

.... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थी:– श्री शिव सिंह राठौड़
अप्रार्थीगणः– एक तरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 16.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि यहकि प्रार्थी मूल रूप से आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू का निवासी है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 953/704, 949/124 रोही आसलखेड़ी पटवार हल्का झारिया भू. अभि. नि. क्षेत्र झारिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है प्रमाणस्व... पेश की जा रही है।
2. प्रार्थी की उक्त भूमि पर कब्जा एवं काश्त स्वयं प्र... है तथा लगातार उक्त कृषि भूमि को काश्त करता चला आ रहा है ...
3. प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के पड़ौस में उत्तर की तरफ ... बीकासी की स्थित है तथा दक्षिण की तरफ अप्रार्थी सं. 06 की कृषि भूमि खसरा संख्या ...7/870 स्थित है तथा पू... प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:49 IST
Reason: SelfAttested

सं. 1 की कृषि भूमि खसरा संख्या 950/124 स्थित है पश्चिम में अप्रार्थी सं. 2 ता 5 की कृषि भूमि खसरा संख्या 123 व चूरू से भालेरी जाने वाली सड़क स्थित है। प्रार्थना पत्र हाजा में पड़ोसी खातेदारों को बतौर अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2071–2074 संलग्न प्रार्थना पत्र की जा रही है।

4. प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 949/124, 953/124 रोही आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरू के चारों तरफ खातेदारों ने उक्त भूमि के सीमाचिन्ह नष्ट कर दिये है, तथा सीमा को लेकर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद व तनाव रहता है। इसलिये प्रार्थी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह अपनी भूमि को चारों सीमाओं का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवा लेवे, जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
5. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कहा व कहलवाया कि प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं को नष्ट नहीं करे तथा नापकर सीमा तय करवा लेवे परन्तु वे पहले तो टालमटोल करते रहे, अन्त में दिनांक 20.08.2025 को ऐसा करने से इंकार कर दिया, लिहाजा यही तारीख बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार हासिल है।
6. सभी प्रक्रिया तहसीलदार चूरू के माध्यम से होनी है, जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार को बतौर अप्रार्थीगण संख्या 7 बनाया गया है।
7. प्रार्थी पत्थरगढी व सीमाज्ञान के लिये निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिये तैयार है, तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे, तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।
8. विवादित कृषि भूमि श्रीमाजी के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर हर प्रकार से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
9. अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 953/704 तादादी 0.1264 हैक्टेयर, खसरा संख्या 949/124 तादादी 1.8717 हैक्टैयर रोही आसलखेड़ी पटवार हल्का झारिया भू. अभि. नि. क्षेत्र झारिया तहसील व जिला चूरू की चारों सीमाओं का सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) करवाई जावें एवं प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

10. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 पर विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार, चूरू भूमिधारी है।
11. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।
12. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.**—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of ...*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:49 IST
Reason: SelfAttested

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

1. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

2. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 949 / 124 / 1.8717 हैक्ट. व खसरा संख्या 953 / 704 / 0.1264 हैक्ट. वाके ग्राम आसलखेड़ी पटवार मण्डल झारिया तहसील चूरू में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार चूरू द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम आसलखेड़ी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश से भी यह तथ्य साबित है कि सीमा ज्ञान के दौरान उक्त खसरे की भूमि कम पाई गई। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। खसरा संख्या 949 / 124 / 1.8717 हैक्ट. व खसरा संख्या 953 / 704 / 0.1264 हैक्ट. वाके ग्राम आसलखेड़ी पटवार मण्डल झारिया तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्र[illegible] 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील[illegible] चूरू खसरा संख्या 949 / 124 / 1.8717 हैक्ट. व खसरा संख्या 953 / 704 / 0.1264 हैक्ट. वाके ग्राम आसलखेड़ी पटवार मण्डल

झारिया तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:19:49 IST
Reason: SelfAttested